COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare
District & Addl. Sessions Judge -I, Jamui ***Pg. 1/2***

A.B.P. No. 673/2026
Chandradeep P.S. case no. 179/2025
Anshu Kumar & others Vs. State of Bihar

आदेश

05.08.2026 चंद्रदीप काण्ड संख्या–179/2025, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 190, 191(2), 126(2), 115(2), 125(a), 303(2), 351(2), 352 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 से संबंधित है, के अभियुक्तगण **1. अंशु कुमार,** उम्र लगभग 29 वर्ष, पिता स्व0 किरण सिंह, **2. गुड्डु सिंह उर्फ पुष्पराज,** उम्र 32 वर्ष दोनों निवासी ग्राम ताजपुर, थाना चंद्रदीप, जिला जमुई की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

कांड के सूचक अखिलेश कुमार सिंह पिता–स्व0 प्रभुनारायण सिंह द्वारा थानाध्यक्ष चंद्रदीप थाना को दिए गए टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 03.10.2025 को सुबह 04:00 बजे वह टहलने निकले थे, उसी समय 1. **गुड्डू सिंह,** 2. प्रियांशु उर्फ गोलू 3. योगेन्द्र सिंह 4. अभिजीत कुमार 5. राणा सुरेन्द्र सिंह 6. विकाश कुमार 7. रोहित कुमार 8. राहुल कुमार 9. **अंशु कुमार** ये सभी लोग घात लगा कर सतेन्द्र सिंह के घर के पास, उसके आने का इंतजार कर कर रहे थे। जैसे ही वह (सूचक) सतेन्द्र सिंह के घर के पास पहुंचा तो ये सभी लोग गाली गलौज एवं धमकी देने लगे तथा लाठी एवं डंडा से उस पर वार किया, जिससे उसके हाथ में चोट लगा एवं हाथ फट गया है। जैसे ही वह भागना चाहा तो गुड्डू सिंह ने पिस्तौल निकालकर दो आसमानी फायर किया, तब वह रूक गया। इसी में गुड्डू सिंह के द्वारा उसका एक भर का सोना का चैन छिन लिया एवं जब वह घर पहुंचा तो दरवाजा पर घेर लिया तथा उसके बाद इन सभी लोगों के द्वारा ईंट पत्थर चलाया गया। ये सभी लोग दबंग प्रवृति के व्यक्ति है। इन लोगों के द्वारा कभी भी जानलेवा हमला किया जा सकता है। गुड्डू सिंह पिता अनुज सिंह पर पहले से भी केस दर्ज है।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन है कि वास्तविकता यह है कि घटना गॉव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई। उस कार्यक्रम में गॉव के लोग आए हुए थे। कार्यक्रम के दौरान सूचक एवं अन्य लोगों ने कलाकरों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए हंगामा किया, जिसे बाद में शांत कराया गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अभियुक्त प्रियांशु उर्फ गोलू, उसके भाई पुष्पाराज तथा अभिजीत अपने घर लौट रहे थे। तभी अखिलेश कुमार, आदित्य कुमार एवं अन्य लोगों ने उनका रास्ता रोककर लोहे की रॉड और ईंट से मारपीट एवं फायरिंग किया तथा नकद रूपये व घड़ी छीन लिया, जिसके लिए चंद्रदीप थाना कांड

सं0 180/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 303(2), 352(2), 3(5) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा–27 के लिए कांड दर्ज हुआ तथा जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि इस मामले के सह अभियुक्तों को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम द्वारा A.B.A 1659/2025 में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा आवेदक अभियुक्तगण का भी मामला उसी के समान है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया है।

मैंने अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता हे कि सह अभियुक्तों को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक अभियुक्त में से गुड्डू सिंह पर आरोप है कि उसने पिस्तौल से दो आसमानी फायर किया किंतु कांड दैनिकी के पैरा–14 में साक्षी ललन सिंह का बयान दर्ज है। अपने बयान में साक्षी ने कथन किया है कि उभय पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उसने किसी के हाथ में हथियार नहीं देखा और ना ही किसी को गोली चलाते देखा। समान अभियोग के लिए विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम ने अन्य सह अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पूर्व में प्रदान की है। अतः आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दस हजार के दो प्रतिभूओं से समर्थित बंधपत्र तथा इस आशय का वचन पत्र की साक्ष्य से छेड़छाडऋ नहीं करेगे एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे, दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
जमुई।

प्रति–विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम, जमुई को आवश्यक सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
जमुई।